

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

“ए” स्टॉक, वित्त बग्ग, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005
 (फ़ोन 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1)(6) / पदस्थापन / अलेसे-गा / 1116

दिनांक :- 8/8/18

आदेश संख्या 55/2018-19

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजरव लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परियोक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम रोल नं.-मेरिट क्रमांक/वर्ष	जन्मतिथि श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय	अर्थर्थी का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAM GOPAL SHARMA SURESH CHANDRA SHARMA 673590- 2566/2013	10-Jul-80 GE,ME	COMMANDING OFFICER 5 RAJ. GIRLS BN. NCC (882), NATIONAL CADET CORPS, UDAIPUR , UDAIPUR	
2	BASANT SHARMA RAMLAL SHARMA 601753- 2408/2013	25-Oct-83 OBC, ME	JOINT DIRECTOR (906) , PENSION AND PENSIONERS WELFARE , JODHPUR , JODHPUR	
3	DEEPAK KUMAR SURENDRA NARAYAN 457819- 2079/2013	20-Oct-92 OBC, ME	TREASURY OFFICER (1095) , TREASURES AND ACCOUNTS , BARMER , BARMER	

उपरोक्त अर्थर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जा रही है:-

- उक्त नियुक्तियाँ एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 905/2018 रामगोपाल शर्मा बनाम मंजुला वर्मा व अन्य अंतर्गत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9982/2017 रामगोपाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य(राज. उच्च न्यायालय, जयपुर)तथा एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 334/2018 बसंत शर्मा व अन्य बनाम श्री भारकर ए सावंत व अन्य अंतर्गत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8697/2017 बसंत शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य(राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर)में क्रमशः राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के एकलपीठ के निर्णय दिनांक 03.03.2018 की अनुपालना तथा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एकलपीठ के निर्णय दिनांक 08.12.2017 की अनुपालनामें माननीय राज. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर एवं जोधपुर में दायर की जाने वाली डी.बी. विशेष अपील याचिकाओंके अंतिम निर्णय के अध्यधीन दी जा रही है।
- उक्त परियोक्षाधीन प्रशिक्षणर्थीयों को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.प्लॉपी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
- राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अर्थर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से कार्य मुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
- राज्य सरकार के परिषत्र पं. 13(1) वित्त/नियम 2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेशन योजना लागू होंगी। यह नियुक्ति चरित्र एवं आवरण शीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अर्थर्थी के चरित्र एवं आवरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अर्थर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोष जनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

Persnol

4. कार्य ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र—ए में शपथ पत्र 50 रुपये के नॉनज्यूडिशियल ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
5. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा / सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक रिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अकित की गई है।
6. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पै-मैट्रिक्स लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन घट्टि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
7. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यादीन है।
8. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिलास्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्चस्तर के अधिकारी से रवास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
9. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की रिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वाविधेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-ए में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता रांदत्त नहीं होगा।
11. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आवरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकती।
12. उक्त नियुक्ति प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1464-66/2017 कैटन गुरुविन्दर सिंह व अन्य बनाम रेखाराम व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.02.2018 के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन दी जा रही है/होगी। इसके अतिरिक्त उक्त पदों एवं इस परीक्षा के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं अन्य न्यायालयों में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित आदेश/निर्णय एवं अंतिम निर्णय के अध्यधीन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति/तथ्य के प्रकरणों में दिये जाने वाले निर्णयों/आदेशों एवं अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
13. यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलक्षिया एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा करना होगा। अभ्यर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एक वन्धक पत्र प्रशिक्षण से पूर्व निष्पादित करें।
14. उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती।


 (मंजुला वर्मा)
 निदेशक

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे-गा/ 1116
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- 8/5/18

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक (विधि) निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
6. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि उपरिथिती प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से रातोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपरिथिती स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करायें।
7. सम्बन्धित कोपाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री/ श्रीमती/ कुमारी/ सुश्री.....
9. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
10. उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
11. रक्षित / निजी पत्रावली।


 (शिल्पी कौशिक)
 अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक-गा)